उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-5

संख्या-75/2018/1331/1-5-2018-21/2016 टी0सी0

लखनऊः दिनांक 06 सितम्बर, 2018

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (अधिनियम संख्या 7 सन् 2012) की धारा 6 की उपधारा (1) और (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित्त पूर्व में जारी की गयी सरकारी अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से -

(1) नीचे अनुसूची में उल्लिखित 10 ग्रामों के क्षेत्रों को अपवर्जित करके जिला वाराणसी की तहसील पिण्डरा,

(2) उक्त अनुसूची में उल्लिखित 10 ग्रामों के क्षेत्रों को सम्मिलित करके जिला वाराणसी की तहसील सदर की सीमाओं में परिवर्तन करते हैं।

राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में, जिसने अब तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पडे. गा।

अनुसूची

1-एकला
2-नकछेदपुर
3-रैचन्दपुर
4-बेलवरिया
5-सोनकडीह
6-काजीचक
7-चौका
8-किशुनापुर
9-दशनीपुर
10-सुतबलपुर

आज्ञा से

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।